

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 679/572/वि/नि/चार/2023 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6/10/2023
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:—वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1 एवं भाग-2 में संशोधन।

संदर्भ:—(1) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 203/सी 1-4/09/वित्त/नियम/चार/2009,
दिनांक 28.07.2009 (वित्त निर्देश 21/2009)

(2) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 170/एफ 2015-04-01745/वि/नि/चार,
दिनांक 4.6.2015 (वित्त निर्देश 18/2015)

(3) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 623/एफ 2019-71-00053/वित्त/नियम/चार,
दिनांक 20.12.2019 (वित्त निर्देश 27/2019)

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1 के सेक्शन-IV के
अनुक्रमांक 55, 55A को संलग्न प्रपत्र अनुसार प्रतिस्थापित करता है।

2/ वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 के सरल क्रमांक 10 एवं 11 में संचालनालय, कोष
लेखा एवं पेंशन को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियाँ विलोपित की जाती है।


3/ वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय, पेंशन एवं
भविष्य निधि को संलग्न प्रपत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) अनुसार वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन
किया जाता है।

4/ यह संशोधन आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से


तथा आदेशानुसार


(इन्द्रप्रकाश रात्रे)

अवर सचिव

पृ.क्रमांक 680572/वि/नि/चार/2023 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6/10/2023
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
 3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
 10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
 13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
 14. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
 21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
 22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु


(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव

Book of Financial Powers

Volume I

SECTION IV

POWERS DELEGATED IN RESPECT OF MISCELLANEOUS ITEMS OF EXPENDITURE

Sl. No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
55	To draw the amount of employee's and employer's contribution deposited in Government account under new Contributory Pension scheme and transfer it to Trustee Bank.	Director Pension and Provident Fund	Full Powers	
55A	To sanction and pay the service charges on account of contributory Pension Scheme to Central Record Keeping Agency.	Director Pension and Provident Fund	Full Powers	As per norms and rates prescribed from time to time.

Q. 55

Book of Financial Powers

Volume II

Finance Department

Financial Powers respect to Directorate Pension and Provident Fund				
S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of delegation	Conditions
1	To draw the amount of employees's and employer contribution deposited in Government account under New Contributory Pension Scheme and transfer it to trustee bank	Director Pension and Provident Fund	Full Powers	
2	To Sanction and pay the service charges on account of contributory pension scheme to central record keeping agency	Director Pension and Provident Fund	Full Powers	As per norms and rates prescribed from time to time

वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2

वित्त विभाग

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि				
स.क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजित की सीमा	शर्तें
1	नई अंशदायी, पेंशन योजना में जमा कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान को आहरित करने तथा उसे ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित करने की स्वीकृति।	संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	
2	सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी को अंशदायी पेंशन योजना हेतु सर्विस चार्ज के भुगतान करने की स्वीकृति	संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	समय-समय पर निर्धारित किए गए मापदण्ड एवं दर के अनुसार

Handwritten signature